राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(32)RSSB/अर्थना/उ.वि./भर्ती/2018/ 1218 दिनांक 11.10.2019

–::संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति::–

उद्योग विभाग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा–2018

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के लिये राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के अन्तर्गत विभिन्न पदों के लिये विज्ञापन संख्या 03/2018 दिनांक 13.03.2018 को जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये गये थे।

कार्मिक(क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में हाथकरघा निरीक्षक एवं लवण निरीक्षक के पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) पुनः आमंत्रित किये जाते है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इस पद हेतु ऑनलाईन आवेदन कर दिया है, उन्हें दुबारा ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। अति पिछडा वर्ग को 05 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 की पालना में उद्योग विभाग द्वारा हाथकरघा निरीक्षक के 06 एवं लवण निरीक्षक के 05 पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के लिये रोस्टरवार कोई पद आरक्षित नहीं बनना बताया है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 दिनांक 23.01.2019 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये 04 प्रतिशत पदों का लाभ दिया जा रहा है। विशेष योग्यजनों के लिये 04 प्रतिशत के अनुसार 01 पद ही बनता है जो पूर्व में विज्ञापित पदों के अनुसार B/LV श्रेणी में दर्शाया है। अतः पूर्व में विज्ञापित पदों के श्रेणीवार वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पदों की संख्या में कमी/वृद्धि एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष नोटः–

1. जिन अभ्यर्थियों ने हाथकरघा निरीक्षक एवं लवण निरीक्षक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 03/2018 दिनांक 13.03.2018 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 दिनांक 23.01.2019 के अनुसार दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते है। पुराने आवेदक उक्त संशोधन दिनांक 08.11.2019 से 14.11.2019 तक निःशुल्क कर सकते है। नये आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन दिनांक 15.11.2019 से दिनांक 21.11.2019 तक कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
2. सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाईन आवेदन करने का अवसर दिया गया है जिसके लिये **पात्रता की शर्तो की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी** अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्ते पुरा करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते है।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तो की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा।

परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः–

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 16.10.2019 से 14.11.2019** को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 16.10.2019 से 14.11.2019** को मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

हाथकरघा निरीक्षक एवं लवण निरीक्षक के पद की भर्ती हेतु विज्ञापन की शेष शर्ते यथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्ताऐं, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम पूर्व बोर्ड के विज्ञापन संख्या 03/2018 दिनांक 13.03.2018 के अनुसार यथावत रहेगी।

(डॉ. बी.एल.जाटावत)
अध्यक्ष